(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III खंड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या -106 नई दिल्ली 11 मई 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा पट्टे पर दी गई नमक भूमि से संबंधित दर ढाँचे की वैधता विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/69/2005–केपीटी

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) आवेदक

आदेश
(जनवरी, 2011 के 18 वें दिन पारित)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा पट्टे पर दी गई नमक भूमि से संबंधित दर ढाँचा इस प्राधिकरण द्वारा 17 जनवरी 2006 को संशोधित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये 5 जुलाई 1999 से पूर्वव्यापी प्रभावी से लागू किए गए थे। निर्धारित आधार दरें 5 जुलाई 2005 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए वैध थीं।

2. आदेश दिनांक 17 जनवरी 2006 द्वारा अनुमोदित दरों की वैधता 4 जुलाई, 2010 को समाप्त हो गई थी। केपीटी के अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2010 द्वारा वैधता को छह माह अर्थात 4 जनवरी 2011 तक विस्तारित कर दिया था।

3. केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी 2011 द्वारा सूचित किया है कि उसने नमक भूमि के लिए दर ढाँचे के संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसने यह अनुरोध भी किया है कि यह प्राधिकरण नमक भूमि दरों की वैधता को 31 मार्च 2011 तक और विस्तारित करे परन्तु इस शर्त के अधीन कि संशोधित दरें पूर्वव्यापी प्रभावी से लागू होंगी।

4. महापत्तन न्यासों की भूमि नीति पर फरवरी/मार्च 2004 में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि पट्टा किरायों में तब तक 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि की जाए जब तक वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित नहीं की जाती है। इस प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2006 में अनुमोदित आदेश भी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार यह शर्त निर्धारित करता है। पट्टा किरायों की वर्तमान अनुसूची में पहले से ही पट्टा किरायों में तब तक 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रदान की गई है जब तक दरें इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं की जाती हैं।

6. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास द्वारा आबंटित भूमि के लिए वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता 4 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक विस्तारित करता है, परन्तु इस शर्त के अधीन कि संशोधित दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा